AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

FA(MAT) No. 60 of 2019

अविनाश कुमार सिंह, पुत्र विनोद
कुमार सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष,
जाति क्षत्रिय, व्यवसाय-कम्प्यूटर
इंजीनियर, निवासी-मकान नंबर
1, C-20 R/8, विश्रामपुर,थाना-
विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़

.....अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमती नैना सिंह, पत्नी श्री अविनाश सिंह,
उम्र-लगभग 27 वर्ष, जाति क्षत्रिय,
निवासी-वार्ड नंबर-34, कृष्णानगर टिल्डा,
थाना-टिल्डा, जिला-सूरजपुर(अम्बिकापुर) छ.ग.

.....उत्तरवादी

अपीलकर्ता की ओर से– श्री शक्ति राज सिन्हा अधिवक्ता ।
उत्तरवादी की ओर से – श्री सुमित सिंह राठौड़ अधिवक्ता ।

खंडपीठः माननीय श्री न्यायामूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं
माननीय श्रीमती न्यायामूर्ति विमला सिंह कपूर

//निर्णय 07/08/2020//
(न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा)

1. यह अपील कुटुम्ब न्यायालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के विविध प्रकरण क्रमांक 21/2018 के आदेश दिनांकित

24 अक्टूबर 2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी (पत्नी) के आवेदन पर एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया गया था तथा अपीलकर्ता(पति) के पक्ष मे पारित डिक्री दिनांकित 21.03.2018 को निरस्त किया गया था ।

2. अपीलकर्ता(पति) ने तलाक की डिक्री के लिए कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन दायर किया । इस पर उत्तरवादी(पत्नी) को समन जारी किए गए । समन प्राप्त करने के बाद, पत्नी ने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराई और न्यायालय से "अमाईक्स क्यूरी" (न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता) के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगी, जिसे 23 जून 2017 को स्वीकृत कर दी गई । उत्तरवादी ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति दायर की थी । जब इस आपत्ति पर सुनवाई मामला 06 जनवरी 2018 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध था, तो उत्तरवादी तथा उनके अधिवक्ता ने कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई । अतः कुटुम्ब न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही(ex-parte) जारी रखी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसी दिन, उत्तरवादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिये "अमाईक्स क्यूरी" के माध्यम से आवेदन दिया, जिसे 31 जनवरी 2018 को सुना जाना था । लेकिन उस दिन भी न तो उत्तरवादी स्वयं उपस्थित हुई, न ही उनके अधिवक्ता, जिसके कारण आवेदन खारिज कर दिया गया और परिवार न्यायालय ने आगे कार्यवाही जारी रखी । साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद, 21 मार्च 2018 को कुटुम्ब न्यायालय ने एकपक्षीय तलाक की डिक्री पारित किया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद में उत्तरवादी ने एकपक्षीय आदेश और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन यह दावा करते हुये दायर किया कि वे अपनी कार्यवाही में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनका कहना था कि वे उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) में अपील कर चुकी थी और 22 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने का आदेश पारित किया था । जब 24 अप्रैल 2018 को वे इस आदेश को प्रस्तुत करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय में गई, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एकपक्षीय डिक्री पहले ही

पारित हो चुकी थी । इसके बाद, उन्होंने प्रमाणित प्रति प्राप्त कर एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने का आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील प्रस्तुत किया ।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकार करके गंभीर विधिक त्रुटि की है क्योंकि उत्तरवादी के पास कोई ठोस कारण नहीं था कि वह न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं हो सकी ।उत्तरवादी स्वयं यह स्वीकार कर चुकी थी कि उन्हे समन प्राप्त हुआ था और वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रही थी । उत्तरवादी ने पहले कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाला आवेदन दिया था, लेकिन इसके बावजूद, जब कार्यवाही आगे बढ़ी, तो न ही वे स्वयं पेश हुई और न ही उनके अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज कराई । उत्तरवादी(पत्नी) और उनके अधिवक्ता को दिनांक 06.01.2018 के आदेश की पूरी जानकारी थी क्योंकि उसी दिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी के अधिवक्ता ने एकतरफा आदेश को निरस्त करने के लिये आवेदन दायर किया था । जब यह आवेदन दिनांक 30.01.2018 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हुआ, तब भी, सूचना और सुनवाई की तिथि की जानकारी होने के बावजूद कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया गया । इस कारण दिनांक 30.01.2018 को आवेदन खारिज कर दिया गया और आगे कार्यवाही नहीं हुई बाद में जब साक्ष्य दर्ज किए गए और मामला अंतिम तर्कों के लिए सूचीबद्ध किया गया, तब भी, सूचना और जानकारी होने के बावजूद, उत्तरवादी और उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में पेश होने और मामले को चुनौती देने की कोई कोशिश नहीं की लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर होती है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि परिवार न्यायालय ने दिनांक 21.03.2018 को एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित की । चूंकि उत्तरवादी को विधिवत रूप से समन जारी किए गए और वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रही थी इसलिये उनके पास पूरी जानकारी थी, इस कारण एकपक्षीय निर्णय को निरस्त करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिये आवेदन को 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, जैसा कि सीमा अधिनियम(law of limitation) के अनुसार आवश्यक है । तलाक के लिए आवेदन अपीलकर्ता(पति) द्वारा दिनांक 11.05.2018 को दायर किया गया था इसके बाद, अपीलकर्ता ने दिनांक 26.06.2018 को दूसरा विवाह कर लिया, जिसे विधिवत रूप से दिनांक 15.10.2018 को पंजीकृत किया गया । इस प्रकार, कोई भी पर्याप्त कारण न होने के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के आवेदन को स्वचलित रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे परिस्थितियां अत्यधिक जटील हो गई, क्योंकि अपीलकर्ता पहले ही दूसरा विवाह कर चुका था । अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि अपीलकर्ता ने दूसरा विवाह कर लिया था, इसलिए एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिये दायर किया गया आवेदन, दूसरी पत्नी को पक्षकार बनाए बिना स्वीकार्य नहीं होगा । अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अनुराग मित्तल बनाम शायली मिश्रा मित्तल(2018) 9 SCC 691 और करूणा कंसल बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेमंत कंसल एवं अन्य (2019) 6 SCC 581 एवं मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा CRP(NDP) No. 3237 में दिनांक 17.03.2016 को पारित आदेश का हवाला दिया ।

4. उत्तरवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से यह स्वीकार कयिा कि परिवार न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे उनके अधिवक्ता ने उन्हे सूचना नहीं दी और इस संचार की कमी के कारण, उत्तरवादी–पत्नी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी इसे उचित रूप से पर्याप्त कारण माना गया । इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि सिर्फ इसलिये कि अपीलकर्ता(पति) ने दूसरा विवाह कर लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तरवादी(पत्नी) की दलीले अमान्य हो जाती है । दूसरी शादी के सम्पन्न होने से पहले ही, उत्तरवादी–पत्नी ने एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिये आवेदन पहले ही दायर कर दिया था । इसके अलावा क्षेत्राधिकार को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी थी । उत्तरवादी के अधिवक्ता ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने तर्कों के समर्थन में **नीतिन कणितकर(सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन) बनाम मीनू नीतिन कणितकर**(2014) SCC online Bom 2918 के निर्णय पर भरोसा किया ।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क श्रवण किया गया और प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।

6. कुटुम्ब न्यायालय में दर्ज आदेशों और कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी–पत्नी को विधिवत रूप से समन जारी किया गया था । उन्होंने न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 23.06.2017 को स्वीकृत कर दिया गया और उसके बाद वे एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रही थी । उन्होंने कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुये एक आवेदन भी दायर किया, जिसे दिनांक 06.01.2018 को तर्क के लिए सूचीबद्ध किया गया । हालांकि समन, सूचना और सुनवाई की तिथि की जानकारी होने के बावजूद, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ–न ही उत्तरवादी और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए । इस कारण परिवार न्यायालय ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकपक्षीय कार्यवाही की । तत्काल बाद, उत्तरवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया । मामले को दिनांक 31.01.2018 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया और यह तिथि उनके अधिवक्ता द्वारा विधिवत रूप से नोट कर ली गई थी । हालांकि दिनांक 31.01.2018 को भी, उत्तरवादी या उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 06.01.2018 को दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया । मामले को इसके बाद दिनांक 15.03.2018 को साक्ष्य दर्ज करने के लिए तय किया गया । इस प्रकार, उत्तरवादी(पत्नी) की अधिवक्ता ने अगली सुनवाई की तिथि नोट कर ली थी, लेकिन न तो वे उपस्थित हुए और न ही कोई कारण बताया गया कि उपस्थिति क्यों नहीं हो सकी । इतना ही नहीं, यद्यपि मामले को दिनांक 15.03.2018 को सूचीबद्ध किया गया था, फिर भी न तो उत्तरवादी और नही उनके अधिवक्ता इसमें कोई रूचि दिखाई । दिनांक 15.03.2018 को साक्ष्य दर्ज किए गए और फिर मामले को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 20.03.2018 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया । इस तिथि पर भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । इसके बाद दिनांक 21.03.2018 को न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित की, जिसमे तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया गया । चूंकि उत्तरवादी को विधिवत समन भेजा गया था और उनके अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, इसलिये कानून की दृष्टि में यह माना गयाा कि उन्हें जानकारी थी ।

7. **परिसीमा अधिनियम(Limitation Act)** के अनुच्छेद 123 के अनुसार, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर करने की अधिकतम सीमा डिक्री तिथि से 30 दिवस है । यदि समन या नोटिस विधिवत रूप से नहीं दिए गए हो, तो परिसीमा की गणना जानकारी प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी । हालांकि वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया गया है कि समन विधिवत रूप से जारी किए गए थे और उत्तरवादी को उनके अधिवक्ता के द्वारा विधिवत रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था । इसलिये एकपक्षीय निर्णय को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने की परिसीमा अवधि डिक्री की तिथि से 30 दिन थी ।

8. एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन में, उत्तरवादी(पत्नी) द्वारा यह तर्क नहीं किया गया कि उनके और उनके अधिवक्ता के बीच संचार की कमी थी बल्कि आवेदन के पैरा–3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब दिनांक 06.01.2018 को न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय दिया, तो उसी दिन उनके अधिवक्ता ने इसे निरस्त करने के लिए आवेदन दायर कर दिया था, जिसे दिनांक 31.01.2018 को खारिज कर दिया गया । कही भी यह उल्लेख नहीं है कि उनके अधिवक्ता ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी थी । यह ध्यान देने योग्य है कि अधिवक्ता का कोई शपथपत्र दायर नहीं किया गया, न ही यह साबित करने के लिए कोई जांच की गई कि वास्तव में संचार की कोई कमी थी । उत्तरवादी(पत्नी) ने ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया कि भले ही उसे सुनवाई की तिथियों की सूचना थी, लेकिन उसके नियंत्रण से बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वह कुटुम्ब न्यायालय में कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकी । पूरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामला इस आधार पर टिका था कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाना चाहती है और उसने क्षेत्रिय अधिकार क्षेत्र को लेकर आपत्ति उठाई थी । एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिये दायर आवेदन में, कही भी यह नहीं कहा गया था कि उसे समन नहीं दिया गया था या उसके अधिवक्ता ने उसे सुनवाई की विभिन्न तिथियों के बारे में सूचित नहीं किया था । यह उत्तरवादी(पत्नी) की पूरी तरह से लापरवाही का मामला है । समन जारी किए जाने और अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, उत्तरवादी और उसके अधिवक्ता ने लापरवाही बरती और कार्यवाही में भाग न लेने का विकल्प चुना । उत्तरवादी के अधिवक्ता ने दिनांक 06.01.2018 के आदेश को वापस लेने के लिये एक आवेदन दायर किया था जिसकी सुनवाई दिनांक 31.01.2018 को निर्धारिती थी । हालांकि, पूरी सूचना और जानकारी होने के बावजूद, उस दिन उत्तरवादी के पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उत्तरवादी या उसके अधिवक्ता ने यह जानने का प्रयास तक नहीं किया कि दिनांक 31.01.2018 और उसके बाद क्या आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पारित किया गया था ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन स्वीकार करने का पूरा आधार यह था कि उत्तरवादी और उसके अधिवक्ता के बीच संचार की कमी थी । हालांकि, यह बात उत्तरवादी द्वारा दायर आवेदन में कही भी नहीं की गई थी । इस संबंध में कोई भी प्रमाण अस्वीकार्य होगा । यदि आवेदन को उसके मूल रूप में पढ़ा जाए, तो इसमे यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि उत्तरवादी सुनवाई की तिथियों पर न्यायालय में क्यों उपस्थित नहीं हो सकी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी ने सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिस पर दिनांक 22.03.2018 को स्थगन का आदेश पारित किया गया था । हालांकि, कुटुम्ब न्यायालय पहले ही दिनांक 21.03.2018 को एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित कर चुका था ।

11. हम यह भी पाते है कि न तो अपील और न ही एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन,

निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था । जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूंकि उत्तरवादी को विधिवत रूप से समन जारी किया गया था, इसलिए विधि की दृष्टि से यह माना जाएगा कि उसे जानकारी थी । इसलिए, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर करने की समय–सीमा डिक्री की तारिख से 30 दिन थी, न कि जानकारी प्राप्त करने की तारीख से । अपीलकर्ता ने उस अवधि के समाप्त होने के बाद दूसरा विवाह कर लिया, जो अपील या एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित थी । यह एक प्रासंगिक विचारणीय पहलू है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारा मत है कि उत्तरवादी(पत्नी) यह साबित करने में विफल रही कि उसे सुनवाई के दौरान उपस्थिति से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण था । जब तक ऐसा संतोषजनक कारण नहीं पाया जाता, कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती । हमने यह भी देखा कि विचारण न्यायालय में काउंसलिंग भी हुई थी, लेकिन काउंसलर ने बताया कि कोई

समझौता नहीं हो सका । अपीलकर्ता ने दूसरा विवाह भी कर लिया है, जो कि वैध प्रतीत होता है क्योंकि यह विवाह उस अवधि के समाप्त होने के बाद सम्पन्न हुआ, जो अपील या एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित थी ।

13. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश विधिक रूप से टिक नहीं सकता और इसलिए यह खारिज़ किया जाता है । इसलिए, उत्तरवादी का एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने का आवेदन खारिज किया जाता है ।

14. तदानुसार अपील स्वीकार की जाती है । वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

Sd/-
(विमला सिंह ठाकुर)
न्यायाधीश